

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
कार्यालय आदेश

निगरानी थाना काण्ड संख्या-10/12 एवं विशेष वाद संख्या 04/12 के मामले में श्री संजय प्रिया, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-08, सह विशेष न्यायाधीश निगरानी (डी०ए०), भागलपुर के न्यायालय में दिनांक 11.02.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में श्री आशुतोष, भा०व०से०, तत्कालीन निदेशक, प्राथमिक शिक्षा-सम्प्रति-सेवानिवृत्त पटना का श्री कमलेश्वरी चौधरी (पासी), तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाराहाट, भागलपुर के विरुद्ध निर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश सं० 558 दिनांक 16.08.2012 में अंकित हस्ताक्षर की पहचान के लिए गवाही देने हेतु श्री सनोज कुमार मंडल, प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-08), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

ह०/-

(विक्रम विरकर)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक 10/02/2026

ज्ञापांक:-08/स्था०3-02/2026 204

प्रतिलिपि:- श्री जवाहर प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक निगरानी (डी.ए.), न्यायालय, भागलपुर को उनके पत्रांक 97/25 दिनांक 19.12.2025 के आलोक में/पुलिस अधिक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को उनके पत्रांक 1587 दिनांक 06.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री सनोज कुमार मंडल, प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-08), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)